कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्यजीव प्रभाग अमरोहा
पत्रांक– 1749/14–1 अमरोहा दिनांक: 23/11/ 2019

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
यूनिट–18, सी0एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश, जल निगम,
डी0एस0सी0–20, टी0डी0आई0 सिटी, सी0एल0 गुप्ता वर्ल्ड स्कूल के पीछे,
मुरादाबाद।

विषय :– अमरोहा–काँठ मार्ग कि0मी0 21.840 से 26.540 तक दायी पटरी पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तल लखनऊ का पत्रांक 08बी/यू0पी0/09/42/2017/एफ 0सी0/190 दिनांक 15.06.2018 इस कार्यालय का पत्रांक 3282/14–1 दिनांके 27.06.2018, आपका पत्रांक 1926/कार्य–45/33 दिनांक 15.11.2018 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तल लखनऊ का पत्रांक 08बी/यू0पी0/09/42 /2017/एफ0सी0/563 दिनांक 03.01.2019

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में अमरोहा–कॉठ मार्ग की 1.692 हे0 संरक्षति वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एव उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की सैधान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के प्रथम संदर्भित पत्र से निर्गत की गयी थी सैधान्तिक स्वीकृति उल्लिखित शर्त सं0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के हुए उल्लघन के लिए भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक सं0 एफ0न0 11–42/2017 एफ0सी0 दिनांक 21–01–2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु सं0 B(ii) निहित निर्देशानुसार वसूलनीय दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि (ब्याज सहित) विभाग के पक्ष में कराने हेतु इस कार्यालय की पत्र सं0 1578/14–1 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा आपको लिखा गया था, लेकिन मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय से सम्पर्क करने पर दण्डात्मक एन0पी0पी0 व ब्याज की धनराशि के पुनः आगणन कर संशोधन हेतु निर्देश दिये गये। अतः प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 व ब्याज की धनराशि का पुनः आगणन कर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है :–

<u>दण्डात्मक एन0पी0वी0 व ब्याज की गणना</u> :–

रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा घटना की सूचना देने का दिनांक – 11.06.2015
परियोजना में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि – – 1.692 हे0
वन भूमि की एन0पी0वी0 की दर – – रूपये 6.26 लाख प्रति हे0
परियोजना में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वनभूमि की एन.पी.वी. की धनराशि– 1059192.00
5 वर्ष की एन0पी0वी0 की धनराशि 5×1059192.00 = 5295960.00
5 वर्ष का साधारण ब्याज 5295960.00×12×5/100 = 3177576.00

कुल धनराशि = 5295960+3177576.00 = 8473536.00

भारत सरकार के पत्र के बिन्दु B(ii) के निर्देश के अनुसार वसूलनीय एन0पी0वी0 की धनराशि = उक्त धनराशि का 20 प्रतिशत = 8473536.00×20/100 = 1694707.00 रूपये

(रूपये सोलह लाख चौरानवें हजार सात सौ सात मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार की ओर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त धनराशि तत्काल जमा कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन आख्या प्रेषित कर अन्तिम स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया जा सके।

भवदीय,

(रमेश चन्द)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

(रमेश चन्द)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा।